

14.15 hrs.

Title: Consideration of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production Supply and Distribution) Amendment Bill, 2002. (Bill as amended, passed)

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

"कि शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह इसलिए आवश्यक हुआ कि पहले हमने इसी सदन में 1992 में एक अधिनियम बनाया था जिसके अनुसार बच्चों को माता के द्वारा स्तनपान कराना और पोषण आहार के लिए कुछ प्रावधान थे। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक डाक्टरों और विशेषज्ञों ने इस बात की सिफारिश की कि माता का दुग्ध बच्चों को पहले छः महीने तक पिलाया जाना अनिवार्य है और केवल वही दूध पिलाया जाना चाहिए, साथ में कुछ और भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। पहले यह व्यवस्था केवल चार महीनों के लिए थी, लेकिन बाद में यह कहा कि दो साल तक माता का स्तनपान होना चाहिए और साथ में कुछ और आहार भी दिया जाना चाहिए। दो साल तक माता द्वारा बच्चे को दुग्धपान कराना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उचित, उपयोगी और आवश्यक है।

महोदय, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, पुराने अधिनियम के स्थान पर 2002 में हमने एक नया विधेयक पेश किया। उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, वे सब शामिल करते हुए सदन में पेश किया। सदन ने उसे संसदीय स्थायी समिति को प्रेषित किया। स्थायी समिति ने उन सारे संशोधनों को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ एक सुझाव और दिया कि इन सबके साथ एक छोटा सा संशोधन इसमें और किया जाना चाहिए और वह यह कि इन्फेंट फूड सब्सटीट्यूट के स्थान पर इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट होना चाहिए। वह संशोधन करने के लिए मैं इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

महोदय, इसका बहुत स्पष्ट मतलब यह है कि एक जिस स्थान पर इन्फेंट फूड सब्सटीट्यूट लिखा हुआ है उस स्थान पर इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार दो स्थानों पर वह शब्द डालने के लिए यह संशोधन विधेयक रखा गया है। बाकी इस विधेयक पर पूरी चर्चा हो चुकी है। स्टैंडिंग कमेटी ने उन सारे संशोधनों को स्वीकार किया और अपनी तरफ से एक छोटा सा संशोधन सजैस्ट किया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं आपके सामने यह विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ इस पर सदन विचार करेगा और इसे सर्वसम्मति से शीघ्र पारित करेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to amend the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 be taken into consideration."

The time allotted for this Bill is one hour.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Sir, the original Bill was introduced by Shrimati Margaret Alva. We are happy that this Bill is again considered by way of an amendment.

Here, we appreciate the intention of the Government to propagate the importance of breast-feeding. But, at the same time, we have to consider why breast-feeding is not accepted even by the mother herself. That aspect has to be considered. It may be the recommendation of the World Health Organisation that people who are interested in seeing that their children should be brought up well should have mother's milk for six months to two years. We know very well that children in villages used to have milk from their mothers even for three years but they were healthy at that time. Mothers were having proper food at that time. But what is the position now? Are they having sufficient food to eat? Only if they eat properly, the mother can give her child the advantage of her milk.

What steps has the Government taken in this regard? During Shri Rajiv Gandhi's regime and subsequently also, there were schemes in order to feed the pregnant mothers and also the child after it is born. That is, for eighteen months, the mothers were fully protected by the schemes of the Government. They were given nutritious meals and they were protected by other amenities also. These amenities should be provided throughout the country through the Central Government schemes. Money should not be a criterion, but the health of the human beings of the nation is more important. We should have children who have got all the potentiality to carry the nation forward. Scientists are telling that up to the age of five, a child asks about five lakh questions. If those five lakh questions are not properly answered, to that extent the children become inefficient. How are we going to provide those facilities to the children? Simply bringing in an amendment is not sufficient. The Government should focus on mothers.

In the modern world, mothers feel very hesitant to say that they want to feed the children. It is because they want to keep up their beauty. That means we have to go to beauty parlours in order to create awareness. We have to give the doctors, that is the paediatricians, more responsibility to educate mothers that feeding the children will not reduce their beauty; on the contrary, it increases the beauty of the women. We have to educate them. This aspect should also be considered. When we are prohibiting certain advertisements, that is a negative attitude. We are giving punishment for them for about three years and Rs. 2,000 fine. Where does that money go? For what purpose is that money being utilised? I would like to know whether that is going to be utilised for propagating breast-feeding.

Are we going to propagate it in the same way the traders do for selling the milk powder?

We have to educate the women that this type of feeding of the child till the age of two years increases its capacity. It increases the health of the child, that is, it increases its ability mentally, psychologically and physically and it increases the overall potentiality of the child. We have to see to it that women have a choice to decide whether they should feed or not. To which extent are we allowing them to make that choice? This particular enactment may be used negatively also. There are many mothers who are not able to feed the child because they do not have that kind of health. Many mothers are not able to feed the child because they do not have the capacity to get the milk out of them. How are you going to view the working mothers in this particular enactment? We have to see all these things. Penal provision alone will not make the things proper. We have to see that sociologically also. We have to find out how we can educate the people. The enactment should be coming forward for these purposes. But we feel that this enactment has been brought in for the purpose of satisfying the international obligations. We are attending the seminars and conferences and signing covenants, and we can say that we have also done it.

I would like to draw the attention of the hon. Minister. Though this is the subject of the Ministry of Health, and though he is the Minister of Human Resource Development, I would like to draw his attention to this point. Many young women, modern women and middle class people go in for caesarean delivery. When pregnant women go in for delivery, the medical officers create such a situation so that they do not go in for natural delivery. I have this experience in my own home. This happened to my daughter and daughter-in-law. They do this because they can charge more money, like Rs. 20,000 or Rs. 30,000. But for a normal delivery, they can charge only Rs. 2,000 or Rs. 5,000. This point has to be taken into consideration. When a mother gives birth to a child, just like a rocket is launched, in her body, more than two lakh blood vessels are thrown open at that particular moment so that the child is delivered totally and fully.

At the same time, the mother also gets a new health for feeding the child. But that is lost nowadays because of the modern medical practice; that is lost in the caesarian cases. Nowadays, women are not going in for the natural delivery. We are not appreciating the natural delivery system. The doctors who are having nursing homes are not encouraging this. We have to compel them to do it. If they want to go in for caesarean operation, they should compulsorily prove the need of it. They have to prove it legally, mentioning what makes the particular medical official to go in for caesarean operation. Why should the doctors have to take recourse to this type of a thing?

We have the Gynaecologists. They should have the responsibility to prove that this type of unnatural delivery, by operation, alone can save the child and the mother. They should give such a declaration. If they are doing it only for the purpose of getting more money, then we have to punish such type of people. This type of punishment of the medical officials may be having opposition, but they are doing a wrong thing now. They are not protecting the health and wealth of the nation. They are not protecting the mothers. Generally, doctors become sick when they are not having operations. Due to the unnatural delivery, the child becomes sick. The entire nation will be having sick people only by this process.

In the same way, I would like to draw the attention of the House to another matter. In many States, even young girls of thirteen or fourteen years of age are married off. It is against the law. But in the villages, they are doing it. In which way are they going to be protected? How is the mother going to be protected? Therefore, we have to see that those who are in Government service should have maternity leave for at least six months. We have extended the period for feeding by the mother. How can the mothers feed the children for two years when they are not getting any leave? They have to be working in the office. At the same time, they have to feed their children also. Can they carry the child along with them? Every office should have a child caring centre. I would like to know whether such a provision would be made that in each and every office, this facility should be there. We have to make provision for these things. Many of the young mothers are becoming anaemic. They should have proper help for healthcare by way of medical aid etc. That should be freely provided. I stress it again because mother's health and the child's health is the health of the nation.

With these words, I conclude.

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा जो इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट बिल, 2003 रखा गया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

भारतर्वा में मां के दूध की कहानी हजारों वां पुरानी है और वाँ से भारतर्वा में मां के दूध को मान्यता मिलती रही है। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब कभी भी कोई चेलेंज आता है तो कहते हैं कि अगर मां का दूध पिया है तो मैदान में आ जाओ। इसी तरह से जब कोई कमिटमेंट निभाना होता है, जैसे बेटा कारगिल की लड़ाई में देश की सीमा पर लड़ने के लिए जा रहा है, तब भी मां बेटे को कहती है कि मेरे बेटे, मेरे दूध का धर्म निभाना। यह इस बात का प्रतीक है कि हम इस विषय की ओर शुरु से ही गम्भीर रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता कई विकास की बातें हमारे देश के अन्दर लेकर आईं, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश के अन्दर कुछ ऐसी चीजें भी लेकर आईं, जिसके परिणामस्वरूप आज भारत में कई नारियां, विशेषकर शहरों में रहने वाली नारियां समझती हैं कि इस माडर्न जमाने में डिब्बाबन्द दूध से काम चल जायेगा,

और बच्चा पल जायेगा। लेकिन यह मान्यता बिल्कुल गलत है। मां के दूध के प्रचार-प्रसार के लिए सारी दुनिया में सैकड़ों वां पहले से ही कुछ आंदोलन हुए, कुछ

जागरूकता अभियान चले। 1981 में पहली बार यह मामला वर्ल्ड हेल्थ असेम्बली के अंदर आया। वहां पर इसके लिए कोड बनाया गया जिसका 188 देशों ने समर्थन किया। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने इसका विरोध किया। इसके पीछे कुछ कारण थे। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, आज भी उनके लिए डिब्बा बंद दूध का जो बाजार है, वह नियर अबाउट 6 बिलियन है। भारत के अंदर हजारों करोड़ों रुपये का डिब्बा बंद दूध का व्यापार होता है। इस पर रोक लगाने के लिए भारत ने 1983 में अपने प्रयत्न शुरू किये और डब्ल्यू.एच.ओ. ने जो नियम रखे थे, उनको अपनाया।

वर्ष 1992 में इस प्रकार का एक कानून बनाया गया जो 31 जुलाई, 1993 को लागू हुआ। लेकिन उसके लागू होने के बाद भी इस बिल में कुछ कमियां महसूस की गयीं जिसके बारे में वूमैन्स एंड चाइल्ड वेल्फेयर डिपार्टमेंट, वूमैन कमीशन और एन.जी.ओज. की राय लेने के बाद एक टास्क फोर्स बनायी गयी। उस टास्क फोर्स की जो भी रिक्मेंडेशन्स आईं, उसके बाद यह बिल आया है। इस बिल के अंदर जो प्रावधान रखे गये हैं कि बच्चों से संबंधित कोई भी ऐसी संस्था जो छः महीने से पहले दूध पिलाने का प्रचार करेगी और उनके हेल्थ केयर सिस्टम से खेलेगी या इन्फेंट मिल्क सब्सीच्यूट को किसी पोस्टर के माध्यम से छपवायेगी या इस संबंध में कोई एजुकेशनल मैटीरियल बंटवायेगी तो उसके लिए तीन साल की कैद और दो हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह बहुत जरूरी है। भारत में इस जागरूकता के लिए एक से सात अगस्त तक स्तन दुग्ध सप्ताह मनाया जाता है जिसके अंदर संगठित और असंगठित क्षेत्र के लोगों को मिलाकर एक अभियान चलाया जाता है जिससे देश के लोगों को जागृत किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल की महत्ता और भी बढ़ गयी है क्योंकि भारतवा में प्रतिवर्ष 2 करोड़ 46 लाख 7 हजार बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें 17,1000 बच्चे प्रतिवर्ष कुपोषण के कारण मर जाते हैं। पांच वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुंचते 20 लाख 59 हजार बच्चे मर जाते हैं। हमारे देश के अंदर 11 करोड़ 5 लाख बच्चे हैं जिनमें से 53 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन कम है और 52 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई कम है जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश में इस चीज के लिए और भी प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।

यद्यपि सारी दुनिया में मां के दूध की कीमत नहीं लगाई जा सकती लेकिन फिर भी अगर हम इसको आर्थिक तौर पर देखें, फाइनेंशियल तौर पर इसका अध्ययन करें तो पता लगता है कि जितना दूध बच्चे गाय या भैंस से प्राप्त करते हैं, व बोटल के दूध से प्राप्त करते हैं उतना दूध बच्चों को मां हमारे देश में एक साल के अंदर पिलाती हैं।

बिजली और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए बजट के अंदर जितना एलोकेशन है, यह राशि उसके बराबर है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लिए जितनी राशि निर्धारित की गई है, उससे तीन गुना ज्यादा है। महिला और बाल विकास के लिए जितनी राशि है, उससे यह दस गुना ज्यादा है। इस तरह हम देखें कि डिब्बाबंद दूध या बोटल के दूध के माध्यम से छः महीने में एक बच्चे के ऊपर 6,662 रुपये बाजार से मोल लेकर खर्च किए जाते हैं। अगर हम मां के दूध को प्रोत्साहित करें तो उस राशि से मां के लिए 220 किलो गेहूं ले सकते हैं, 40 दर्जन संतरे ले सकते हैं और 50 किलो सब्जियां उतनी राशि से ले सकते हैं। आज देश के अंदर विश्व बाल अधिकार अधिवेशन की रिक्मेंडेशन्स आई हैं। हम आज उन रिक्मेंडेशन्स को मान रहे हैं और हमने उसके आर्टिकल 24 को अपनाया है। हम उसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

आज हमें बच्चों की ओर देखना होगा क्योंकि बच्चे भारत का भविय हैं। जहां मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वहां मैं आदरणीय जोशी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वे इस प्रकार का बिल लाए हैं। इससे पहले भी एन.डी.ए. की सरकार ने भ्रूण हत्या के बारे में एक बिल पास किया है। अभी मैंने कोटेशन दी कि सत्रह लाख बच्चे एक वर्ष की उम्र में मर जाते हैं। इस देश के अंदर ऐसी भी कुछ बालिकाएं हैं जो जन्म ही नहीं ले पातीं, जैंडर बायस के आधार पर उनकी हत्या कर दी जाती है। हमें इस मामले पर भी चिन्ता करने की जरूरत है। अगर इसे भारत में सख्ती से लागू नहीं किया गया तो कई और भी सामाजिक बुराइयां पैदा हो सकती हैं।

यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत में 1901 में एक हजार पुरुषों के पीछे 972 महिलाएं थीं लेकिन सन् 2001 में 933 महिलाएं रह गई हैं। आज मां के दूध के लिए, भ्रूण हत्या को बचाने के लिए केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमारे रिलीजियस लीडर्स को आगे आना होगा। इसके अंदर मीडिया का रोल भी बहुत बढ़ गया है। आज मीडिया को भी इस बारे में ज्यादा आर्टिकल्स निकालने होंगे, ज्यादा न्यूज़ देनी होगी, टी.वी. और रेडियो के माध्यम से ज्यादा प्रोग्राम देने होंगे। इस बारे में सेमीनार और कान्फ्रेंसिएज किए जाते हैं लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जो सेमीनार और कान्फ्रेंस का आउटकम होता है, वह केवल रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी में शोभा का काम करता है, गांव की आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए अनकन्वेंशनल मीडिया का सहारा लेना होगा, जो गांव से संबंधित है, गांव में नाटक मंडलियां लेकर जानी होंगी, छोटी-छोटी डोक्यूमेंट्री फिल्में गांव में दिखानी होंगी जो इस सब्जेक्ट की महत्ता को समझते हुए प्रचार और प्रसार का काम करेंगी।

आज हमारे सामने जो भी सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉरपोरेट बॉडीज, एम्पलाईज एसोसिएशन या अनऑरगेनाइज्ड सेक्टर हैं, उनके लिए आज हमें मेंडेटरी बनाना होगा कि मां के दूध का हक है। It should be respected; it should be protected; it should be facilitated; and we should fulfil all these ambitions of the children. इसके लिए हमें और सरकार को आगे आना होगा और अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए यह केवल एक कानून की मान्यता नहीं होगी बल्कि ब्रीच ऑफ प्रीविलेज, ब्रीच ऑफ कमिटमेंट जाना जाएगा। आज जो यह बिल पेश किया गया है, मैं आदरणीय जोशी जी को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उनके नेतृत्व में ही, इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी कदम उठाये गये हैं जिससे भारत के शिक्षा जगत के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और आज जो अमेंडमेंट आ रही है, मुझे पूर्ण आशा है कि इस अमेंडमेंट के पश्चात भारत के करोड़ों बच्चों का भविय उज्ज्वल होगा। मां के दूध का जो महत्व बच्चों के लिए है, मेरे पास ऐसे बहुत से प्वाइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बोल सकता हूँ लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मंत्री जी यह बहुत ही क्रांतिकारी कानून लाए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill is intended to amend the Act of 1992. As is evident from the Statement of Objects and Reasons, the principal Act of 1992 was passed with a view to protecting and promoting breast feeding and ensuring proper use of infant food. I support the Bill, of course, with certain reservations and apprehensions.

The present amendment aims at fulfilling an international obligation. The Organisation of World Health Assembly Resolution No. 475 dated 9th May 1994 had called upon all member States to make certain amendments in this regard. So, it is primarily to fulfil this obligation, that is, protecting and promoting breast feeding up to the age of six months instead of four months and continue to give breast milk up to the age of two years along with appropriate feeding practices for the infant with safe and adequate local food, and prohibit all forms of advertisements and promotion in relation to infant milk substitute, feeding bottles and infant food.

Of course, the aim is laudable. But here I would like to submit that mere enactment will not ensure the laudable objects of this Bill. Penal clauses alone will not actually achieve the aim also. A holistic approach to the entire problem is essential.

While trying to protect and promote breast feeding with safe and adequate amount of local food until the infant attains the age of two, we must analyse the current Food Policy and also the food situation in the country. Actually, the present Food Policy is dictated by the World Trade Organisation, the World Bank, and the International Monetary Fund. It goes along with liberalisation, globalisation and privatisation policy. It is economically unsound and morally bankrupt. As a part of this Food Policy, there is a targeted system. APL and BPL have all completely disrupted the Public Distribution System.

Even in a State like Kerala, the statutory rationing is completely dismantled. When such a situation arises at the food front, who is the worst sufferer? That is the main question here. Actually, in our traditional system of feeding and taking food, what had actually happened hundreds of years ago is still continuing. Only certain other circumstances have changed. Here, the traditional pattern is that the men will be fed first in the house. A major portion of all the food items will be given to them. Then the male children come, then the daughters come and then lastly, the mother comes. The mothers quite often do not get any substantial food at all. I do not think this situation has changed considerably in any part of the country. This has worsened now with the present state of affairs at the food front and also with the food policy. So, the women eat last and they eat less also. Along with these women, that is, the mothers, the daughters also suffer. They also do not get the minimum food required. They are also made to or constrained to remain in waiting till all the male members eat, including the male children.

As per the official survey, 80 per cent of the poor women are famished, anaemic and deprived. Malnutrition is prevailing among them. How can we expect such women to feed their children properly with breast milk? I am strongly in favour of breast-feeding. There are certain women who are actually more concerned about their figures, but they are very small in number. They are actually going in for bottle milk and other substitute food items for their children. Otherwise, a majority of the Indian women is actually going in for breast-feeding, not merely for six months but even beyond that. They actually want to do that, but the conditions are such that even those willing mothers are not able to do that because of the constraint of circumstances and the conditions in which they are living. They actually do not go in for feeding bottle and infant food. But what happens to them when they are pregnant and are famished, deprived and starving? Where is the milk in their breasts? Even if they try very hard to give milk, they will not be able to give sufficient quantity of milk to their infant children. This is the condition. Some of the children are born underweight also. So, all these are problems which are alive to this issue. I am not undermining or devaluing the legislation. Of course, legislation is absolutely necessary. At the same time, we must view the whole thing in a holistic manner. The other problems alive to this issue also should be solved.

My suggestion is that universalisation of the Public Distribution System should be implemented. Food accessibility to these poor people should be made at cheaper rate. There should be right to freedom from hunger. We must make India free from hunger and it should be made a right. Similarly, breast-feeding should be made a right of the child.

Another suggestion is that when the food policy is framed, it should be a life cycle programme, that is, from birth to death. That food policy should be able to give the required nourishment and nutrition value food to the people at large.

Another thing is, we have to strengthen the *Anganwadis*. On this occasion, I congratulate the hon. Minister for having increased the emoluments of the *Anganwadi* workers and teachers. If this institution is strengthened all over India, definitely the situation of breast-feeding can be improved much more than with the legislation itself.

We have to strengthen the health delivery system and also the general education system. Of course, partly it comes under the Ministry of the Hon. Minister. The other thing comes under the Health Department. Here, what is found nowadays is that the Government is slowly but steadily withdrawing from the health and education sectors. This should be stopped. General education is very important to encourage breast-feeding. Similarly, the health system should be made stronger, especially at the rural level. Reproductive and child health care system is basically required to improve the health of the women and children and that should be strengthened as much as the *Anganwadis*.

Another aspect relates to crèche for children of working women. We say that mothers should breast-feed the child for minimum six months, but they are constrained to go to their workplaces much earlier than that. So, there should be crèches attached to work establishments. That would take us a long way in implementing the provisions of this Act.

The maternity leave benefit must be extended to six months. This would help women who are working and they would be in a position to comfortably feed their children with breast milk. In this connection, I would like to quote the

example of Kerala. Kerala has been recently declared a baby-friendly State by the UNICEF. We have achieved this by many-pronged action, that is, the health system is very strong, the general education system is very strong and along with that, certain NGOs like the Kerala Shashtra Sahitya Parishad have spread the message for promoting breast feeding through a very large-scale campaign in the State of Kerala. Along with that, the paediatricians of Kerala have also rendered a yeoman service in this area. This example could be followed by other States also. In Kerala, diarrhoea death of children has been very much reduced because of the many-pronged action taken and the large-scale campaign undertaken by the Government of Kerala.

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Sir, I just have a couple of points to make. I have been hearing the speeches that have been made. I am glad that my colleague the lady Member has spoken.

I think, there are certain issues where women are very deeply involved as mothers. I think, we are as concerned about the health of children or even more concerned than anyone of you could be, but I think women have to be given the right to choose. It is not by law that you tell women that they have to feed their children for so long whether they like it or not. I think, women also have the right. We have reached a stage where we say women have the right to decide what they feel is good for their children and for themselves. They have problems, they feel, which you have to respect. Men cannot just sit and dictate by passing a law and saying: 'You will do this because the law says so.'

I would point out three or four issues here. There is the question today of girls getting married at nine or ten years of age in Rajasthan. I saw a ceremony of infant marriages in the afternoon live on TV. I watched it when it was shown live. I am not saying that it is in just one State; I am saying that this has been the custom. At 13 or 14 years of age, girls are producing children and you are saying that those girls must nurse the children. The girl is anaemic and under-nourished. She is a teenager who should be playing in school but she is a mother and you are saying that that girl must feed that child and keep the baby healthy. Is it possible? There are limitations. Most of these girls are anaemic. In the villages, they are under-nourished and over-worked. Just after she has finished with one childbirth, she is already pregnant with another child in her womb. So, what should she do? It is easy to pass a law and say what should be done and what should not be done but is it practicable when we actually come to the ground realities? The WHO has set international standards, which even developing countries and everybody else has to simply follow.

I want to just point out that with the spread of AIDS, TB and communicable diseases, mothers are told not to feed the children because the diseases are communicable. There are cases where a mother is on drugs or maybe on alcohol in urban areas. The children get the ill effects of those drugs or alcohol through the mother's milk. So, they are told not to feed the children.

I now come to the more practical side. This country is full of poor people who cannot afford tin boxes and so on to feed the children. In most of our homes, traditionally, we give cow's milk as a supplement. All the advertisements are not needed. The tin boxes or banning of them is not needed because in 90 per cent of the homes, the first substitute is cow's milk, which is never advertised but which is from our own backyards. There is also *daliya*, which is again not advertised through tins and boxes.

So, this is for the urban elite who are not going to follow any of these things.

I would request the hon. Minister to please extend the maternity leave from six months to two years. The mother can sit at home and feed the baby. If they are going to work in their offices, how are they going to feed the baby? They get not even three months' of Maternity Leave. How do they feed and nurse the baby for six months or for two years, if they are at work for eight hours or six hours a day? So, these are all impracticable things when women are working. Now, more and more women today, by sheer necessity of poverty, have to go out to work. How do you fit this into the parameters?

Sir, of course, a number of suggestions have been made. I would say that we must introduce a scheme for subsidised food for nursing mothers as an incentive. You can give the nursing mother a card when the baby is born, may be for one year or six months, whereby she can get subsidised food in the ration shop, so that she is able to get the nutrition she needs to be able to nourish the baby. It is because there is not enough milk produced that the child is also going to be under-nourished for lack of enough nourishment from the mother's milk. Therefore, I think, we need to look at the wider perspective today and make, maybe, further amendments, and not believe that just by banning advertisements and banning tins and boxes, the problem is going to be solved.

DR. (SHRIMATI) BEATRIX D'SOUZA (NOMINATED): Mr. Deputy Speaker Sir, I rise to support the Bill. I do not think that this Bill forces the women to breast-feed. It only endorses WHO's recommendation and it is only in the form of a recommendation and a support.

I have also noticed that two men have inaugurated this discussion and we, women, certainly welcome their academic and theoretical support and suggestions.

14.58 hrs. (Shrimati Margaret Alva *in the Chair*)

I would like to make a few suggestions. At present, infant foods are required to have an ISI certification and they also have to mark the date of manufacture and the expiry date. Now, there should be a constant check on infant foods that are being sold so that infant foods are not sold after the date of expiry. It is because then we would have contaminated infant food, just as we have contaminated bottled-water. I would also suggest that monitoring would be much more convenient if we had infant food sold through medical shops and not through general food stores.

Secondly, plastic milk bottles should be banned and replaced with glass bottles because they can be easily sterilised. I notice that the hon. Chairperson is raising her eyebrows. I feel that if there is a ban on plastic, why should we have the plastic bottles to harm our children? Plastic bottles certainly accumulate germs etc. The rubber nipples also should be regulated. There are certain things called pacifiers that are used to keep children quiet and to prevent them from crying. Now, these pacifiers are banned in foreign countries, particularly in France, because these pacifiers, which are constantly sucked by children, lead to problems with the children's lungs and, I believe, even with the supply of blood to the brain. They lead to malformation of their mouth, their teeth and the gums. Sometimes it has been found in France that when one pacifier was cut open, it was full of maggots. So, this is my suggestion. As has been pointed out by the earlier speakers, if we encourage women to breast-feed for six months, we should also pass a law to extend the maternity leave for at least six months in the organised sector. And in the organised sector, all the offices, starting with Government offices, should have crèches and day care centres for women where women can go and peacefully and quietly breast-feed their children.

15.00 hrs.

In the unorganised sector we should have mobile creches, mobile clinics and also make it mandatory for the persons who are constructing the buildings etc. For example, at the site they should have a rest room for women to feed their children.

Certainly nutrition is also linked with the breast-feeding. It has already been extensively spoken of and I will not speak about it. But I would like to say, as everybody else has said, that I know that the Ministry has pre and post pregnancy nutrition programmes. I would advocate that these programmes are strengthened. I would also say that women's food rights should be strongly protected.

I would like to mention one important thing. The Government needs to control the import of free milk powder. We get a lot of milk powder coming into the country for charitable purposes. This milk powder is, sometimes, used to substitute the baby food. As the hon. Member, Shrimati Margaret Alva was saying, we generally do not use baby food and most people use good cow's milk. We should look into this fact.

Sometimes we have genetically modified food coming into the country. For example, we have genetically modified soya milk powder that has come into the country. Recently there was a scandal about this soya milk powder coming in. We have to find out about it and a research should be done as to whether this soya milk is a substitute to breast milk and can be given to children or not. There are two or three views about this subject.

Finally, I think that research should be conducted on the link between breast cancer, procreation and breast-feeding. It has been stated that women without children, who do not breast-feed are more prone to breast cancer. I think more research should be done on this subject.

It is a woman's right to feed her child herself. A child breast-fed is less likely to get certain infections. Of course, it is a different matter in the case of the mother having HIV or otherwise. What cannot be over-emphasised is the special bonding between the mother and the child when the mother feeds her child. Though a woman goes out to work, by nature a woman is a nurturer and should be given all encouragement by the Government and the work place to fulfil the duties nature intended her to perform. We are all looking forward to the next Bill to be introduced by the hon. Minister and that Bill is to be introduced for a Commission for children.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, मैं डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोण बोटल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूँ लेकिन उनसे अपेक्षा करते हुए कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। छः माह तक बच्चा मां का दूध पिए और उसे दो वां तक अनुपूरक खाद्यों के साथ भी मां का दूध पिलाया जाए जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, ऐसा इस बिल में कहा गया है। इस बात को हिन्दुस्तान की सरकार समय-समय पर कह भी रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 9 मई 1994 को स्वास्थ्य सभा संकल्प 475 में दुनिया के सभी देशों से अपील करते हुए अनुरोध किया था कि स्तनपान को बढ़ावा दिया जाए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में प्रति वां 15 लाख बच्चे स्तनपान की लापरवाही के कारण समय से पहले मृत्यु के शिकार होते हैं। मैं जोशी जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। सभापति महोदया, जब आप बोल रही थी, आपने भी कहा कि मां के स्वास्थ्य की देखभाल बहुत जरूरी है।

आज बेबसी, लाचारी और गरीबी- इन तीन चीजों से आम आदमी प्रभावित है। यदि मां का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बच्चे को बेहतर दूध पिलाया जा सकेगा। जैसा अभी कहा गया कि हमारे देश में शादी जल्दी हो जाती है और कभी-कभी तो 15-16 साल की उम्र में लड़की बच्चे की मां बन जाती है। बिल में कहा गया कि बच्चे को 6 महीने तक स्तन-पान कराना चाहिये और दो साल तक खाद्य-सामग्री के साथ साथ स्तन-पान कराना चाहिये। मेरा प्रश्न यह है कि यदि एक साल में दूसरा बच्चा पैदा हो जाये, तब क्या करना चाहिये? मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मामले में जन-जागरण की आवश्यकता है कि दो साल से पहले दूसरा बच्चा पैदा न किया जाये। इसके लिये विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिये। वे इस काम को काबू में नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, शिक्षा की बात की जाती है। मैं ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बच्चे को दूध पिलाने के मामले में अशिक्षित महिलायें जितनी जागरूक हैं, उतनी शहर की महिलायें नहीं हैं। ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है लेकिन शहरी संस्कृति की महिलायें चाहती हैं कि उनके शरीर का अंग खराब न हो, वे बदसूरत न दिखें और उम्रभर जवान बनी रहें। वे अपने बच्चे को दुग्धपान कराने में कंजूसी करती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि न सिर्फ विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगे बल्कि एक जन-जागरण की आवश्यकता है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि जब परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया था तब पूरे समाज की अनपढ़ औरतों में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था कि पुरा की शक्ति कमजोर हो जाती है लेकिन एक लम्बे समय तक आंदोलन करने के बाद एक वातावरण बनाया गया और लोगों में जागरूकता पैदा की गई। इसलिये हमारी समझ में यह बात आती है कि बच्चों को दूध पिलाने के मामले में जब तक आप एक वातावरण नहीं बनायेंगे, जब तक लोगों को आप जागरूक नहीं कर सकेंगे। तब तक अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। इसलिये, जैसा मैंने निवेदन किया कि बच्चों को मां का दूध पिलाने में ग्रामीण क्षेत्रों की अशिक्षित महिलाओं का शहर की पढ़ी-लिखी महिलाओं की तुलना में ज्यादा प्रतिशत है, बच्चों को स्वस्थ रखने में मां का स्वास्थ्य आवश्यक है। उसका संरक्षण हो। इसलिये जब तक हम इस मामले को आंदोलन नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगे।

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Hon. Madam Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity. The World Health Assembly had adopted an International Code on the Marketing of Breast Milk Substitutes in 1981. The Government of India recognised its importance and the code was adopted through the Indian National Code for Protection and Promotion of Breast Feeding in December, 1983, and to give effect to provisions of this Code, the Government of India had enacted rules on 31st July, 1993.

Madam, we are now discussing the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2002. The Government of India is contemplating amendments to this Act to strengthen the provision of exclusive breast feeding up to the age of six months and continued breast feeding with complementary food up to the age of two years.

It is of foremost importance for us to define the 'balanced diet', irrespective of age. The term 'balanced diet' defines the adequate amount of major food components like carbohydrates, proteins and fats in addition to essential amino acids and other elements of sodium, potassium, calcium and phosphorus for the development of bones, brain, metabolism and other systems in the body.

What is the importance of breast-feed? Why do we want to substitute it? In fact, we do not have a substitute for the breast-feed. What is the important chemical component which plays an important role in the development of the child? It is the cholestrum. I would like the hon. Minister to enlighten this House, the whole of India and the whole world about the composition of cholestrum in that. Even among the elements and composition of the breast-feed, it is the lactoprotein, which is present only in mother's milk and not in any other milk or milk products, which contains lact-albumin, whose mechanism protects the intestines of the new baby from all sorts of infections. It facilitates better absorption of the breast-feed and it also promotes health. Instead of having a vague opinion about the breast-feed and the composition of the breast-feed, is it not our duty to see that every person, right from the child, adolescent, to the elderly person, knows about the composition, and its importance? It is not only the Parliamentarians, but also every mother, every individual, every student, in all walks of life, ought to know the composition of the breast-feed.

Madam, infant mortality and morbidity are directly proportional to the composition of the nutrition that the baby was given during the first six months of life. The diet that the baby gets during the first six months will be the sheet-anchor for the development of the child. I would urge upon the Government to see that this message reaches every individual. We are committed to take this message to every individual. We ought to carry this message not only to the breast-feeding mothers, but also put it in the school curriculum.

As the hon. Chairperson rightly pointed out, in case breast-feeding is not adequate, then we can, at least, substitute it with cow's milk, which is available at home. Even in this case, every child, above the age of five years, should know and be able to differentiate the composition and the cholestrum between mother's milk and cow's milk.

We are introducing the 'Noon-meal Scheme'. In the 'Noon-meal Scheme', we totally forgot about balanced diet. Balanced diet means, one should calculate the calorie aspect, and the whole world should know what to take and what not to take. In the modern era, fast food has become a craze, and we are totally neglecting the naturally available foods, seasonal foods and other easily available foods. Our younger generation is focussing more on fast food. In that context, I would urge upon the Government to tackle this problem of the adolescent community of our country.

As our hon. Chairperson has rightly pointed out, most of the adolescent girls are suffering from anaemia. I endorse that view as a medical doctor. We have forgotten that adolescent group totally. However, when she gets married and becomes pregnant, she conceives a baby whose haemoglobin level is less than eight per cent, or gives birth to

a baby whose weight is much less or gives birth to a dead-borne child. We should not only protect the child's health, but also the mother's health.

Madam, all of you may be knowing it, under the leadership of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi *Amma*, the Government has specifically introduced anti-anaemic treatment where de-worming is done and all the adolescent girls are given the anti-anaemic treatment.

Girls in adolescent ages were given treatment for anaemia. Now, there is a report that their haemoglobin levels are increasing and the menstrual cycles are getting regularised. I would urge upon all the State Governments to adopt these measures. Pre-conception counseling and treatment must be made available.

Madam Chairperson, as you have rightly pointed out, supply of food at subsidised rates through the PDS is essential, especially for people living below the poverty line. Through the self-help groups, we can spread the message of right food habits, anti-anaemic treatment and also economic empowerment. We must take this message across to the people. We have to educate the people and make them consume more and more naturally occurring foods which contain a lot of nutrients. That would help in milk secretion to some extent and we will be able to curtail this problem of lack of lactation.

I would like to place my appreciation for the National Commission for Women on record for conducting this study and presenting a report on it. I would like the Government of India to adopt the recommendations made by the National Commission for Women in this regard.

Whenever we discuss family welfare and family planning programmes, it is our duty to concentrate on the antenatal – in adolescent as well as normal cases - checkups. Proper identification of the antenatal mother should be done at an early stage. Blood chemistry examinations have to be conducted for proper and critical evaluation of the antenatal mother in time, in case of high-risk pregnancies. That would result in reduction of infant morbidity and mortality rates. We must encourage breast-feeding through the self-help groups involving the Panchayati Raj system.

Last but not least, without public participation, no Government scheme will ever succeed. So, I would urge upon the Government to publish information brochures on these aspects in regional languages. Then only the message can be spread to every nook and corner of the country. That is the method through which the objective of the Bill can be achieved.

MADAM CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): Shrimati Kanti Singh, you are the last speaker on this.

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अब दूसरी कोई महिला बची ही नहीं हैं सदन में, सभी बोल चुकी हैं।

सभापति महोदया : क्या आप बोलना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपको समय दूँगी।

श्री राजो सिंह : नहीं, नहीं, हमारा इस बिल को समर्थन है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हमारा नाम दिया हुआ है।

सभापति महोदय : आपकी तरफ से कांति सिंह जी बोल देंगी।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : सभापति महोदया, शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य संशोधन विधेयक 2002 का मैं समर्थन करती हूँ। महोदया, स्तनपान द्वारा माँ के दूध को अमृततुल्य माना गया है और हमारे देश में सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा रही है जिसमें हम शिशुओं को स्तनपान कराते हैं और आज डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा तथा देश में कानून बनाकर लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है।

महोदया, मैं महिलाओं को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभक्त करना चाहूँगी - ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं और शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाएं। मैं डाक्टर की हैसियत से नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि की हैसियत से बताना चाहूँगी कि ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं हैं, वे स्तनपान की बहुत इच्छा रखती हैं लेकिन स्तनपान कराने के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जब तक महिलाओं को खाने में अच्छे और पौष्टिक खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे, तब तक वे चाहते हुए भी स्तनपान नहीं करा पाती हैं।

ऐसी हालत में सरकार की जवाबदेही बनती है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें अच्छा आहार मिले। उसकी शुरुआत गर्भधारण से ही होनी चाहिए। उसके पोषण पर प्रारम्भ से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें स्तनपान कराना आवश्यक है। बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत है, लेकिन साथ-साथ जो अस्वस्थ महिलाएं हैं, जैसा कि मेरे बहुत से सहयोगी सदस्यों ने कहा, जिनमें खून की कमी होती है, जिन्हें सही आहार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके स्तनों में दूध ही नहीं उतरता है, वे क्या करें, वे अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलने, कुपोषण और बीमारी के कारण दूध नहीं आएगा, जब उनके स्तनों में दूध नहीं उतरेगा, तो वे क्या करें। उनके बच्चों लिए सरकार क्या प्रबन्ध करेगी ?

महोदय, आप यह कानून ला रहे हैं कि छः महीने से दो वर्ष तक, बच्चे को माता स्तनपान कराए, लेकिन जिन महिलाओं के स्तनों में दूध उतरता ही नहीं, वे अपने बच्चों को कैसे स्तनपान कराएंगी, क्या आपने इसके लिए कुछ सोचा है। गांव में महिलाएं जब उनके स्तनों में दूध नहीं उतरता है, तो वे गाय का दूध पिलाती हैं, लेकिन आज ऐसी हालत नहीं है। आज चारे के लिए गायें इधर-उधर घूमती हैं और दूध पीती हैं, जिसके कारण उनका दूध भी दूधित हो जाता है। उन गायों का दूधित दूध पिलाने से बच्चों को रोग हो जाते हैं।

महोदय, मेरा सुझाव है कि आंगनवाड़ी सेविकाएं गांवों में बहुत दूर-दूर तक कार्य करती हैं, उनके माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए कि माताएं

अपना स्तनपान कराएं और जिन माताओं को दूध नहीं उतरता है, वे गाय का दूध पिलाएं, लेकिन गाय ऐसी हो जिसे खुद चार इत्यादि दिया जाता हो, यानी पालतू गाय हो, दूधित दूध न पिलाएं। बहुत सी महिलाएं तो बोतल का दूध किस प्रकार पिलाया जाता है, उसका प्रयोग भी नहीं जानती हैं और इस कारण भी बच्चों को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इस हेतु शिक्षा दिए जाने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं की सहायता ली जानी चाहिए। अब इस बारे में अश्लील विज्ञापन तो बन्द कर दिए गए हैं, लेकिन अब विज्ञापनों को इस प्रकार से करने की जरूरत है जिससे गांव की साधारण महिलाएं उसको समझ सकें। इस दृष्टि से हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में हिदायतों का प्रचार-प्रसार किया जाना अनिवार्य है।

महोदय, गांवों की महिलाओं के पास साधन नहीं हैं, लेकिन शहरी महिलाओं के पास तो सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं और हर प्रकार की सामग्रियां मिलती हैं, लेकिन शहर की महिलाओं में भी इस प्रकार की भ्रान्ति फैली हुई है कि स्तनपान कराने से सुन्दरता में कमी आएगी। इसलिए वे भी अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराना चाहतीं। अपने सौन्दर्य और रूप के लिए वे भी अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करातीं। इसलिए उनमें भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। वे समझ सकें कि स्तनपान से बच्चों को बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है।

महोदय, यह कानून तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इस बारे में सोचकर मैं चिन्तित हूँ। कितने लोग इसे अंजाम देने का काम करेंगे और कैसे करेंगे, यह मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इसके साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनियों अपने सामान का इतनी जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करती हैं कि उनके सामने आदमी विवश हो जाता है। उनका प्रचार इतना अच्छा होता है कि वे अपनी खाद्य सामग्री को बहुत उच्च कोटि की और बहुत विटामिन या प्रोटीन वाली कहकर मार्केटिंग करते हैं और उनकी जोरदार मार्केटिंग की वजह से वह सामग्री खूब बिकती है, लेकिन उनकी खाद्य सामग्री में यदि उसका विश्लेषण करें, तो उतने स्तर की प्रोटीन या विटामिन नहीं पाई जाती हैं और तब उनकी टॉय-टॉय फिक्स हो जाती है, लेकिन उनके प्रचार-प्रसार के आगे आदमी उस खाद्य पदार्थ को खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने लगता है। उसे कैसे रोका जाए और मल्टीनेशनल कंपनियों के पदार्थों की सही प्रकार से कैसे जांच की जाए, इसको भी देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से वे अपने द्वारा मार्केटिंग की जाने वाली चीजों के बारे में गलत सूचनाएं देकर उनकी धड़ल्ले से बिक्री कराते हैं। इसे भी देखने और इस पर चैक लगाने की आवश्यकता है। इस बारे में हमारे देश के लोगों और खासतौर से महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। यदि वे शिक्षित होंगी, तो हमारे देश की उन्नति होगी।

महोदय, हमारे देश की महिलाएं निश्चित रूप से अपने बच्चों को स्तनपान कराना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और इस प्रकार की सुविधाएं हमारे स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से ऐसा किया जा सकता है। समय-समय पर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से हमारी महिलाओं को खाद्य पदार्थों आदि के बारे में जानकारी दी जा सकती है, उनका वितरण वहां से किया जा सकता है, टीकाकरण किया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे रोगों को छुटकारा दिलाया जा सकता है। इन सब चीजों की स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में प्राधान्यता होना चाहिए। इस बिल को पारित करने के बाद, जो बातें मैंने कही हैं, उन पर अमल किया जाना चाहिए, अन्यथा यह बिल, केवल बिल ही रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदया, बिल का नाम क्या है ?

सभापति महोदया : अभी बताने का समय नहीं है। कृपया बैठिए।

...(Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Thank you very much.

...(Interruptions)

सभापति महोदया : अभी टाइम नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री जी, आप पहले यह बताएं कि इस बिल का नाम क्या है? â€¦(व्यवधान) आप ही बता दीजिए कि इस बिल का नाम क्या है?â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपके पास पेपर्स हैं, उसमें लिखा है, आप उन्हें पढ़िए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, बिना पढ़ने से जिस बिल का नाम याद न हो, वह बिल क्या काम करेगा। इस बिल का नाम है - "Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2002." मतलब, ऐसा कानून, जिसका नाम ही लोग न जान सकें और न समझ सकें। 16 शब्दों में इसका नाम है, क्या इसका कोई सहज नाम नहीं हो सकता, जिसे हम याद कर सकें। हिन्दी में इसका नाम है - "शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002." ऐसा विधेयक का नाम होना चाहिए, जिसके सुनने और पढ़ने से समझ में आ जाए कि कानून क्या है, लेकिन इसके पढ़ने से कंप्यूज़न ही होगा, कोई जानकारी लोगों में नहीं होगी।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदया : रघुवंश जी, आपको अमेंडमेंट का नोटिस देना चाहिए था।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, अमेंडमेंट के नोटिस पर कौन विचार कर रहा है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदया : अभी टाइम नहीं है, डिबेट खत्म हो चुकी है। अब आप बैठ जाइए। आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत कुछ बोला है। इस पर एक घंटे का टाइम अलाट हुआ था और डेढ़ घंटा हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, हम एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे।â€¦(व्यवधान)

महोदया, कानून कोई भी बने, लेकिन उसका नाम ऐसा हो, जो सहज में समझ आ जाए। उसे पढ़ने और सुनने से लोग जान जाए कि उसमें क्या है। ये कहते हैं कि

1981 में यूएनओ, डब्ल्यूएचओ ने प्रस्ताव पास किया और 1992 में कानून बना। आज उस पर आप कुछ संशोधन कर रहे हैं कि छः महीने से ज्यादा दो वा तक मां अपने बच्चे को दूध पिलाए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या 1992 से अभी तक यह कानून लागू है? (व्यवधान)

सभापति महोदया : जी हां, लागू है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अगर लागू है तो कहां लागू है, यह मैं जानना चाहता हूँ? (व्यवधान) कितने वायोलेशन के केसेस हुए और क्या कार्यवाही हुई? कहीं एक जगह भी यह कानून लागू नहीं है। (व्यवधान) यूएनओ और महिला आयोग ने कह दिया और वह टास्क फोर्स बन गया। कानून बना दिया, लेकिन इस कानून का कोई मतलब नहीं है, यह हास्यास्पद है। गांवों में परम्परागत नीति-रीति रही है, वहां महिलाएं दूध पिलाती ही हैं, लेकिन जो शहरी बीमारी, आधुनिक संस्कृति हो गई है, उसके लिए कानून बनाना पड़ा। इस कानून के बनाने का कोई मतलब नहीं है। इस पर जो इतना समय लगा, इसका कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

मंत्री जी बताएं कि 1992 से आज तक कहां-कहां यह कानून लागू हुआ। इसका प्रचार-प्रसार भी कहीं नहीं हुआ। मंत्री जी बताएं कि इसका प्रचार कहां हुआ, कौन आदमी इसे जान रहा है? मल्टीनेशनल्स का प्रचार हो रहा है " मां के दूध का सब्स्टीट्यूट, दूध वाला पाउडर।" मल्टीनेशनल्स कंपनियां इस देश में लोगों में शोण एवं प्रचार कर रही हैं। (व्यवधान) आप इसे कैसे रोकेंगे? (व्यवधान)

सभापति महोदया : उसे रोकने के लिए ही यह बिल लाया गया है।

(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री जी बताएं कि सन् 1992 से आज तक क्या कार्यवाही हुई है और कितने लोगों पर हुई है तथा किस ने की - यह बात साफ करें? (व्यवधान) इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं, लेकिन यह बिल क्या है, यह पता नहीं है। (व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Hon. Minister, I would like to point out that this Committee of 52 people, who have looked at the Bill, there are only six women. If this Bill had come to the Committee on Empowerment of Women, maybe it would have got a little more attention from the women Members.

...(Interruptions)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Madam, that is your privilege. (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: It does not come to the Committee. It is the men who sit and decide.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: It is the Chair which decides it not me. I have also absolutely no objection to that....(Interruptions) I have absolutely no objection. But it is the privilege and the powers of the Chair. I am helpless there.

MADAM CHAIRMAN: We are made into machines, who must speak, whether we like it or not.

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : आदरणीय महोदया, मैं सदन के सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक पर बहुत गंभीर चर्चा की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस चर्चा में जो पहलू उठाये गये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन बिन्दुओं की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यह कानून जैसा अभी आपने स्पष्ट किया कि उन कम्पनियों के, उन विज्ञापनदाता के, उन आहारों के उत्पादनकर्ताओं के बारे में जो प्रचार के माध्यम से इस प्रकार के आहार को बेचते हैं और छः महीने से पहले की अवधि में नाना प्रकार के विज्ञापनों से बच्चों के लिए ऐसे फूड सप्लीमेंट को, ऐसे पोषण के आहार को बेचने के लिए और विज्ञापन देते हैं, उनके लिए है। यह कानून किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने के लिए या माताओं के उम्र प्रतिबंध लगाने के लिए या उनकी च्वाइस पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं है। यह कानून उसी दृष्टि से है। अभी सम्मानित सदस्य जो सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं और प्रकाश कम फेंकते हैं, उन्होंने इस बारे में (व्यवधान) वह गर्मी ही नहीं पैदा करते बल्कि स्वयं भी गर्म हो जाते हैं। कभी-कभी वे इतना ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि उबाल बिन्दु तक पहुँच जाते हैं। सदन में गर्मी की नहीं बल्कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। केवल फेफड़ों की शक्ति से तर्क नहीं होता। तर्क के पीछे कुछ वजनदार तथ्य होने चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कानून के तहत अभी भी काफी कार्रवाई होती है। जहां तक मुझे याद है, मैं इस संबंध में दो-चार उदाहरण देना चाहता हूँ। इसमें एक संस्था आकाश है--एसोसियेशन फॉर कन्ज्युमर एक्शन ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ है। पहले जो कानून लागू था, उन्होंने उसके सैक्शन 6(1)a और 6(1)e जो उस कानून के नियम छः और सात के साथ पढ़े जायें, उन्होंने एक याचिका नेस्ले कम्पनी, जो कि मल्टी नैशनल कम्पनी है, उसके विरुद्ध दायर की कि वे गलत ढंग का प्रचार करके गलत आहार बच्चों के लिए दे रहे हैं। उसका मुकदमा चल रहा है। इस 19 मई की तारीख यहीं दिल्ली में निश्चित हुई है। अब उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी या क्या फैसला होगा, यह उस पर निर्णय करेगा।

इसी तरह जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड कम्पनी के विरुद्ध ऐसा ही क्रिमिनल केस चालू किया गया। उसके अंदर कुछ कम्पनियों ने तो माफी मांगी और वचन दिया कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी प्रकार दिल्ली के हाईकोर्ट में एक याचिका पड़ी है, वह भी नेस्ले कम्पनी ने हमारी यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट डाली है। उसके बारे में बहस हो रही है। हम यह समझते हैं कि जैसे ही दोनों मुकदमे आयेंगे, उनका निर्णय हो जायेगा।

अब वर्क हार्ड लिमिटेड और अदर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की गयी है क्योंकि उन्होंने इन नियमों का उल्लंघन करके बाजार के अंदर गलत ढंग का प्रचार-प्रसार किया है। इसके अलावा तमाम कम्पनियां जैसे जेसलॉक हास्पिटल के खिलाफ, बेबी लाइन फार्मा के खिलाफ, थम्सअप कम्पनी के खिलाफ, आर्या कम्पनी के खिलाफ, स्टार इंडिया के खिलाफ, ईवनिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ, प्रोड्यूसर एकता कपूर, टी.वी. सीरियल "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" के खिलाफ, रेपटाकास ब्रिट्ट कम्पनी के खिलाफ, वोकार्ट कम्पनी के खिलाफ, नेस्ले कम्पनी के खिलाफ, महानंदा डेयरी के खिलाफ, वर्क हार्ड कम्पनी के खिलाफ, विप्रो कम्पनी के खिलाफ, अर्बन हेल्थ केयर आदि सब पर कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं। इन पर अदालती फैसले के अनुसार ही आचरण होगा।

अब सदन उत्तेजना के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए है। अगर आप उत्तेजित होंगे तो उससे सदन का समय भी जायेगा और आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वह भी नहीं मिलेगी। अगर आप थोड़ा पढ़कर और समझदारी से कहेंगे तो सबको लाभ होगा। पहले तो यह समझ लें जैसा अभी पीठासीन अधिकारी ने कहा कि ऐसी कम्पनियों के खिलाफ ही यह कानून है। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ ही है। उन उत्पादनकर्ताओं के खिलाफ हैं जो इस बारे में धीरे-धीरे किसी तरीके से स्तनपान

की बजाय बोटल से, दवाइयों से या अन्य प्रकार के आहार से बच्चों को पोषण करने की तरफ विज्ञापन द्वारा प्रेरित करते हैं।

यह माताओं के बारे में नहीं है कि माताओं को कोई सजा दी जाएगी या किसी के साथ कुछ किया जाएगा, यह उन कम्पनियों के बारे में है।

जहां तक मूल प्रश्न जो उठाए गए हैं, वे आज के इस विधेयक से संबंधित नहीं हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि माताओं का स्तनपान तभी सफल होगा और बच्चों को तभी पोषण मिलेगा जब माता स्वयं स्वस्थ होगी। यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो हमारे देश में स्तनपान कराने वाली माताओं को जो आहार दिया जाता था, वह आहार अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ घरों में दिया जाता है। वह बहुत पौष्टिक आहार होता है ताकि बच्चों को बहुत अच्छे मिकदार में, अच्छी राशि से पौष्टिक आहार मिल सके और माता को भी पोषण मिल सके। लेकिन वे माताएं जो गरीबी की सीमा के नीचे रहती हैं, उनके लिए यह आहार तो दूर, सामान्य आहार प्राप्त करना भी कठिन होता है। इसके लिए चिन्ता की गई है। इसलिए माताओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए और किशोरी कन्याएं, जिन्हें भविय में माता बनना है, उन सबके लिए महिला और बाल विकास के अंदर कार्यक्रम हैं। आज उसकी चर्चा करने का समय नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें हमारा ध्यान जा रहा है कि गर्भवती माता और स्तनपान कराने वाली एक प्रकार का आहार चाहती है और किशोरी बालिका, जिसकी अलग समस्या है, उसका एक आहार होना चाहिए। जब तक उनको पोषण नहीं मिलेगा तब तक बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। मैं क्योंकि शिक्षा से संबंधित हूँ मैं जानता हूँ कि जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, तब तक उसका मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं करेगा। एक अंडरवेट बच्चा, जिसका भार एक निश्चित सीमा से कम है, वह शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक दृष्टि से भी विकलांग बन जाता है। इसलिए मैंने इस बारे में हमेशा आग्रह किया है और हर स्तर पर हमारा मंत्रालय आग्रह कर रहा है कि हम इसके बारे में व्यवस्था करें।

आपको सुनकर खुशी होगी कि अभी जब बात हुई तो प्रधान मंत्री की ग्रामीण योजनाएं हैं, उनमें 391 करोड़ रुपये की राशि इस दृष्टि से रखी गई है ताकि गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाली माताओं के 0-3 वां तक के बालकों को ठीक से आहार मिल सके, उनको पैसा मिल सके। साथ-साथ मैं जानता हूँ कि सरकार ने गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कम मूल्य में मिलने वाले राशन की मात्रा बहुत बढ़ा दी है, पहले से तिगुनी कर दी है, सिर्फ इसलिए ताकि उनको उचित मात्रा में अनाज मिल सके। यह इस बात को साबित करता है कि हमारा ध्यान उन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता और माताओं के प्रति है, जिनको इसकी आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग और हमारा विभाग मिलकर माताओं के लिए इस प्रकार की देख-रेख करता है कि उनको उचित मात्रा में फौलिक एसिड और विटामिन्स मिलें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां इस दृष्टि से जागरूक हैं और स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्त्रियों से भी यही काम लिया जाता है। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि इन सबका परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आए हैं, जिन्होंने जांच की है, उन्होंने देखा है कि भारत में इस कारण माताओं के प्रसव के समय जो मृत्यु हो जाती थी, उसमें घटोत्तरी हुई है। जो कुपोषित बच्चे ज्यादा मर रहे थे, उनकी मृत्यु दर में कमी आई है। हमारे पास इसके भी आंकड़े हैं कि शून्य से एक वां तक के बच्चों की मृत्यु दर में कितनी कमी आई है और पांच वां के बच्चों की मृत्यु दर में कितनी कमी आई है। इन सारी बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हमारी सरकार को मिली थी। पचास सालों में जो कमियां हुई हैं, वे एकदम दूर नहीं हो सकतीं लेकिन हमारा बराबर ध्यान है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, जो इस मामले में मदद करती हैं और जो उपयोगी हैं, का हमने मानदेय दुगुना कर दिया है। कुछ राज्य सरकारों ने भी उसमें बहुत मदद की है। जिन-जिन राज्य सरकारों ने उनका मानदेय बढ़ाया है, वहां हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। मैं आशा करूंगा कि अपने राज्य में भी सम्मानित सदस्य अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय को थोड़ा और बढ़वाएंगे, राज्य सरकार की तरफ से कुछ दिलवाएंगे, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां नहीं मिलता जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश तथा और भी राज्य हैं। अगर वहां भी यह मिलने लग जाए और आंगनवाड़ी महिलाओं को थोड़ी और अधिक सुविधा दी जाए तो इससे भी उधर ध्यान जाएगा और हम और अधिक अच्छी तरह माताओं और बच्चों का पोषण कर सकेंगे।

फिर एक बात अभी और बताई गई। बहुत ढंग से डा. सरोजा जी ने बताई। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से बताई। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें बताई हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन्स और दूसरे तत्व जो माता के दूध में होते हैं, वे किस तरह से बच्चे के विकास में मदद करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। अभी अनुसंधान के आधार पर पाया गया है कि अगर स्तन पान जल्दी शुरू करा दिया जाए तो उससे क्या लाभ होते हैं। अगर स्तन पान कराया जाता है तो जो अभी जो समस्या बताई गई कि दूसरा बच्चा जल्दी पैदा होता है तो उसमें भी इससे विलम्ब होता है। जितनी देर तक स्तन पान चलता है, उतनी देर दूसरा बच्चा आने के लिए समयावधि बढ़ जाती है। मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे पास सारे तथ्य हैं लेकिन किस तरह से कौलेस्ट्रॉम तत्व है, वह कितना उपयोगी है और बच्चों की इम्युनिटी के लिए, विकास के लिए काम करता है, सबका अध्ययन काफी अच्छी तरह से हो रहा है तथा और अध्ययन करने की जरूरत है। हालांकि इस देश में स्तन पान, मां का भोजन और बच्चे के आहार पर हजारों साल से अध्ययन करते चले आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।

एक कठिनाई जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया, वह यह है कि वह माता जिसको आहार नहीं मिलता, वह क्या करें? हमने यह नहीं कहा है कि उन्हें दूध पिलाना अनिवार्य है। जिसको होता ही नहीं है, वह कहां से पिलाएगी? उसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाती हैं परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चा बीमार न हो जाए और उसकी इम्युनिटी बढ़ती जाए और यह प्रशिक्षण का काम है कि ऐसा आहार किस ढंग से दिया जाए, किस ढंग से स्टैरिलाइजेशन किया जाए, उस आहार में कौन सी चीजें होनी चाहिए। लेकिन ऐसी माताओं की संख्या जिनको दूध नहीं होता है, बहुत कम है। वे सारी चीजें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आएंगी। अब किसी बच्चे की माता का असमय देहान्त हो जाए तो उसको माता का दूध नहीं मिलेगा। यह जो स्थिति है, इसके बारे में पूरा ध्यान अलग से देने की जरूरत है। (व्यवधान) जहां माताएं काम करती हैं, वहां वे 6 महीने तक स्तन-पान कैसे कराएंगी? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अभी इस देश में ऐसी महिलाओं की संख्या जो ऑरगेनाइज्ड सेंक्टर में काम करती हैं, वह अभी इतनी ज्यादा नहीं है। यह सही है कि जैसी स्थितियां हैं, उसमें यह संख्या आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या उन माताओं के लिए है जो अनऑरगेनाइज्ड सेंक्टर में काम करती हैं। जो माताएं मजदूरी करती हैं, जो कहीं भवन बनाने का काम करती हैं या ऐसे काम करती हैं कि उनको आज यहां और कल दूसरी जगह जाना होता है जो बच्चे को साथ लेकर काम नहीं कर सकती हैं। ऐसे स्थानों के लिए हम योजना बनाएंगे और स्लम्स में आंगनवाड़ी कार्यक्रम को चालू कर सकें तो अच्छा होगा। उसकी दृष्टि से अभी जो योजना है, उसे हम क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। कुछ उसमें कठिनाइयां हैं। दूसरी बात यह है कि सामान्य तौर पर समाज में इस बात की जागृति की जरूरत है कि माता का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। कई बार दुखद घटना हो जाती है कि माता के लिए कार्य करना अनिवार्य है। घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है तो उसको काम करना ही पड़ता है या ऐसे क्षेत्र में काम करती हैं, पुलिस में काम करती हैं कि जहां उनके लिए यह करना कठिन है। मैं दो क्षेत्रों को अलग रखता हूँ। कई बार ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना हो गई है और माता को काम करने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ऐसी स्थितियों में कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं भी महसूस करता हूँ।

लेकिन जहां पति-पत्नी और परिवार के दूसरे लोग धनोपार्जन कर रहे हैं, उस परिवार को भी इस तरफ कुछ न कुछ ध्यान देना होगा ताकि ऐसे बच्चों को स्तनपान मिलता रहे और माताएं सुविधापूर्वक बच्चों के स्तनपान करा सकें। इसमें कुछ परिवार का भी दायित्व है।

मैटरनिटी लीव के बारे में बातें कही गईं। उसके साथ पैटरनिटी लीव भी जुड़ी हुई है। मैटरनिटी लीव जितनी आज है, उसको बढ़ाने की गुंजाइश होगी, तो जरूर सरकार और विभाग विचार करेगा। सदन का मत सब तरफ से यही प्रकट होता है कि मैटरनिटी लीव बढ़ाना जरूरी है, वही एकमात्र उपाय है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वह इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है।

इस बारे में गौर करने की जरूरत है कि हमारे देश में जहां परिवार संस्था महत्वपूर्ण है, जहां माता का दायित्व हमने बहुत पहले से माना है, वहां इस बारे में गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि माताओं का प्राथमिक दायित्व क्या है। अगर हम यह स्वीकार करते हैं कि बच्चों का भविय उज्ज्वल हो, बच्चों का स्वास्थ्य, उनका

पोषण सही हो और बीमारी से रोकथाम हो, यह तभी सम्भव है जब छः महीने अनिवार्य रूप से माताएं बच्चों को दूध पिला सकें। इसके लिए हमें जागृति लानी होगी, सामाजिक दृष्टि से भी यह कहना होगा और महिला संस्थाओं से भी अपील करेंगे कि इस प्रकार की भावना पैदा करें कि छः महीने तक बच्चों को माताओं का दूध मिल सके। थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़े, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ माताएं, स्वस्थ बच्चे राष्ट्र का भविय हैं। हम चाहते हैं कि माता का स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य और उनका भविय उज्ज्वल रहे। इस दृष्टि से एक समग्र विचार करने की आवश्यकता है। मैं इससे इनकार नहीं करता, इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, हम ध्यान दे भी रहे हैं, लेकिन एक साथ सब समस्याओं का निवारण करना किसी भी सरकार के लिए कठिन है। यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गम्भीर है। इस पर हम अवश्य ध्यान देंगे और ध्यान देते चले आ रहे हैं।

मैं आशा करता हूँ कि इस विधेयक की जो वास्तविक मंशा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी ने जो इसका समर्थन किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसके लिए भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि माताएं और शिशुओं के लिए सदन में बहुत उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। देश के भविय का प्रश्न है। सभी को मिलकर विचार करना है और सभी के सहयोग से काम होना है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, विशेषकर महिलाओं के संगठन हैं, उनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन सबके साथ मिलकर हम इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है, उसकी तरफ चल सकेंगे।

मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक को आप सर्वसम्मति से पास करें।

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill to amend the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 11 --

"दो वाँ" के स्थान पर "तीन वाँ" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2,

पंक्ति 13 --

"दो वाँ" के स्थान पर "तीन वाँ" प्रतिस्थापित किया जाए (6)

MADAM CHAIRMAN: I shall now put amendment nos. 5 and 6 moved by Shri Rajo Singh to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 5 were added to the Bill.

Motion Re : Suspension of Rule 80(i)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Madam, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 3 to the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2002 and that this amendment may be allowed to be moved."

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 3 to the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2002 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New clause 5A

Amendment made:

Page 1, line 3, -

after line 31 insert -

In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "infant milk substitute", at both the places where they occur, the words "infant milk substitute or infant food" shall be substituted. (3)

(Dr. Murl Manohar Joshi)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

"That newclause 5A be added to the Bill."

The motion was adopted.

Newclause 5A was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 3, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए:-

"परन्तु कोई उत्पादक, प्रदायकर्ता या वितरक शिशुओं के स्वास्थ्य संवर्धन में लगे अलाभ संगठनों / सोसाइटियों को कोई अभिदाय दे सकते हैं " (7)

MADAM CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 7 moved by Shri Rajo Singh to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

Clause 1

Amendment made:

Page 1, line 3, -

for "2002" substitute "2003" (2)

(Dr. Murl Manohar Joshi)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,

for "Fifty-third" substitute "Fifty-fourth" (1)

(Dr. Murli Manohar Joshi)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The long Title was added to the Bill.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.
